Journal of Research and Development
Peer Reviewed International, Open Access Journal.
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-10| October - 2025

Original Article

# ग्रामीण समाज में सशक्त की ओर महिलाएं

**ओम प्रकाश सिहं**
असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग एम एल के पीजी कॉलेज बलरामपुर
**Email:** opsingh13675@gmail.Com

**Manuscript ID:**
JRD -2025-171026
ISSN: 2230-9578
Volume 17
Issue 10
Pp. 116-119
October. 2025
**Submitted:** 19 Sept. 2025
**Revised:** 29 Sept. 2025
**Accepted:** 14 Oct. 2025
**Published:** 31 Oct. 2025

***सारांश***

*आज भी महिलाएं भारतीय समाज का एक प्रमुख भाग हैं ,जिसके बिना भारतीय समाज अधूरा है उनकी स्थिति पर अगर विचार करें तो दुनिया के लगभग सभी समाजों में से पुरुष से पीछे हैं, आज वर्तमान समय में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा महिलाओं की है. विश्व के कुल आय का दसवां हिस्सा इनकी है ,और उत्पादन की साधनों का केवल सौवां हिस्सा उनके स्वामित्व में है ,लगभग 70% महिलाएं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, दो तिहाई महिलाएं बुनियादी की शिक्षा जैसे पहुंच से बाहर है ,इसलिए ग्रामीण समाज में आज भी महिलाएं सशक्त एवं बुनियादी ढांचे के अनुसार पीछे हैं ,इनके उत्थान एवं कल्याण के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा सामाजिक ,आर्थिक , एवं शैक्षणिक रूप से समान अधिकार एवं कर्तव्य हेतु अनेकों योजनाएं एवं परियोजनाएं लाए हैं ।तब भी महिलाएं और एक कमजोर श्रेणी में है, जो सामाजिक ,आर्थिक ,एवं शैक्षणिक रूप से पुरुषों से कहीं ज्यादा पीछे हैं।*

***मुख्य शब्द -*** *महिलाओं की भागीदारी ,महिलाएं सशक्त की ओर, अधिकार एवं प्रतिनिधित्व में कठिनाइयां, सामाजिक ,आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से पीछे ,कल्याणकारी नीतियों में कमी।*

## महिलाओं की स्थिति-

आज वर्तमान समय में महिलाएं भारतीय समाज की मुख्य हिस्सा है ,वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो बहुत अच्छी थी। लेकिन पौराणिक कॉल में उनकी स्थिति में गिरावट आई ,इनके ऊपर यौन परिपक्वता ,पूर्व विवाह, विधवा विवाह निषेध, सती प्रथा ,पर्दा प्रथा आदि प्रारंभ हो चुका था। बौद्ध काल में कुछ सुधार हुआ। मध्यकाल के आते-आते उनकी स्थिति और खराब हो गई, इन स्थिति को महिलाओं का काल का वर्ष कहा जाता है ।मध्यकाल में ही महिलाओं में पर्दा प्रथा ,शिक्षा समाप्त कर दी गई, बाल विवाह ,सती प्रथा जैसे कुरितियो का प्रचलन काफी बढ़ा ।लेकिन ब्रिटिश काल में औद्योगीकरण , नगरीकरण,आधुनिकरण की कारण शिक्षा का आविष्कार, सुधार आंदोलन, महिलाओं का आंदोलन ,समाज संयुक्त रूप से उनकी स्थिति में सुधार हुआ ।किसके परिणाम स्वरुप लिंग असमानता में कमी आई, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात इनकी सुधार हेतु संविधानिक, कल्याणकारी योजनाओं विकास जैसे कार्यक्रम महिला आंदोलन के द्वारा प्रयास किए गए, और संपत्तिकाल तक देखें तो इनके स्थिति में काफी सुधार हुआ ।आज भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में अभी भी पुरुषों पर निर्भर हैं ,लेकिन भारतीय गांव समाज जैसे क्षेत्रों में पंचायत राज जैसे विकास कार्यक्रम के द्वारा जमीनी स्तर कि लोकतंत्र की रीढ़ रहा है । गांधी जी द्वारा "चलो गांव की ओर" तथा भारतीय गांव को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाए रखने के लिए "ग्राम स्वराज" की संकल्पना प्रस्तुत के साथ भारतीय संविधान में 73 वा संविधान संशोधन द्वारा पंचायत राज अधिनियम पारित होने के साथ साकार हुआ ,तीन स्तर पंचायत व्यवस्था की शुरुआत के साथ ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु संकल्प किया गया।

***Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)***
*This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public License, which allows others to remix, tweak, and build upon the work noncommercially, as long as appropriate credit is given and the new creations ae licensed under the idential terms.*

**Address for correspondence:**
*ओम प्रकाश सिहं, असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग एम एल के पीजी कॉलेज बलरामपुर*

**How to cite this article:**
*सिहं, . ओम . प्रकाश . (2025). ग्रामीण समाज में सशक्त की ओर महिलाएं. Journal of Research and Development, 17(10), 116–119. https://doi.org/10.5281/zenodo.17638765*

Quick Response Code:
Website: https://jrdrvb.org/
DOI: 10.5281/zenodo.17638765
OPEN ACCESS

Journal of Research and Development
Peer Reviewed International, Open Access Journal.
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-10| October - 2025

**पंचायत संस्थानों में भागीदारी** -

पंचायत जैसे संस्थानों में प्रावधान के अनुसार अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति और पिछड़े जैसे महिलाओं को कम से कम एक तिहाई सीटों का आरक्षण का प्रावधान है, इसके अतिरिक्त पंचायत में प्रत्येक स्तर पर अध्यक्ष एवं सदस्यों की कुल पदों का भी एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षण जो विभिन्न पंचायत में रोटेशन के अनुसार लागू किया गया है ।इनको सशक्त हेतु निम्न भागीदारी है

1 - वर्ष 1992 में 73 वा एवं 74 वा संविधान संशोधनों के द्वारा स्थानीय स्वशासन की शुरुआत से एक ऐतिहासिक कदम के साथ एक तिहाई आरक्षण के साथ महिलाओं के प्रतिनिधि के स्तर पर देखा जाए तो 14 राज्यों में महिलाओं की भागीदारी 50% से 58% तक है, इनमें झारखंड ,राजस्थान ,उत्तराखंड मुख्य स्थान पर अग्रणी है।

2-कुल सीटों के एक तिहाई आरक्षण के साथ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में भागीदारी करने का प्रयास है ,राष्ट्रीय नीति के लिए महिलाएं नेताओं के निर्माण का केंद्र है निर्वाचन प्रतिनिधित्व में 33 प्रतिशत से अधिक है ।

3-उत्तर प्रदेश के कुल सरपंच (प्रधान )महिलाओं का सीट 34% ही है ।जबकि उड़ीसा राज्य में कुल सरपंच का 58% से औसत से ऊपर है ,मणिपुर में सबसे कम प्रतिशत है ।

4-आज वर्तमान दौर में जहां महिलाएं श्रमिक से लेकर नीति निर्धारण तक अपनी क्षमता के अनुसार ग्रामीण समाज के विकास के लिए सक्रिय रूप से भाग ले रही है ,आज मह...महिलाएं सशक्त होकर निर्वाचन एवं गैर निर्वाचन की भागीदारी बढ़ रही है ,विभिन्न बैठकों के साथ कार्यों एवं समस्याओं के साथ सशक्त हो रही है ।

5-वर्तमान समय में महिलाएं ग्रामीण समाज में एक सशक्त वाहक के रूप में कार्य करते हुए अन्याय और अत्याचार के साथ मिलकर एक साथ आवाज उठा रहीहै ।

6-महिलाओं में वर्तमान समय में अपने अधिकार ,कर्तव्य ,सामाजिक ,आर्थिक एवं राजनीतिक जैसे नीतियों के साथ सशक्त हो रही है ।

7-महिलाओं के प्रधानों (सरपंच) के कारण घरेलू हिंसा में कमी तो आई है, लेकिन उच्च जाति पुरुष प्रमुख का दबदबा काफी कम हुआ है ,जातिगत एवं धर्मगत धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है ,

8 - समाज में जहां वंचित एवं विशेष रूप से महिलाओं की प्रति भागीदारी हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को प्रतिनिधित्व लोकतंत्र से सहगामी लोकतंत्र में बदलते नजर दिखाई दे रही है ।

9-73वें एवं 74 वे संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण समाज में महिलाओं के लिए -गृह ड़ी महिलाएं , राजनीतिक महिलाएं .एवं लखपति दीदी. जैसे समूह संस्था वाली महिलाएं सशक्त होकर अपनी भागीदारी बढ़ा रही है ।

10-महिलाओं को दीर्घकालीन सशक्तिकरण के लिए संपत्ति प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत महिलाओं के नाम पर आवास उपलब्ध कराने का भी प्रावधान किया गया है।

**कल्याणकारी नीतियों एवं योजनाओं द्वारा प्रयास --**

महिलाओं के संदर्भ में विकास नीति को तीन भागों में बांटा गया है।

1-कल्याणो मुखी विकास नीति-1950-1975 तक।

2-विकास में एकीकरण की नीति-1975-1985 तक।

3-महिला सशक्तिकरण की नीति -1985-

के बाद से स्वतंत्रता के पश्चात साम्यवादी रूस के प्रेरणा प्राप्त करने के पश्चात पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक विकास प्रारंभ हुआ ।इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के परिवार ,समुदाय, समाज में सुविधा उपलब्ध कराने से है ,जहां महिलाएं आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पुरुषों के ऊपर निर्भर होती थी, वहीं पर सरकारी नीतियों और कार्यक्रम के आधार पर उनको सेवाएं उपलब्ध कराने से है, जिससे उनमें परंपरागत एवं पारिवारिक भूमिका अधिक कुशलता हो सके ।उनका घर को कार्यक्षेत्र के रूप में नई तकनीकी विकास करके, समानता के आधार पर अधिकार एवं कर्तव्य जैसे आदि के माध्यम से कल्याण मुखी विकास की नीति तैयार करनी है ।

विकास के एकीकरण की नीति के आधार पर उनके द्वारा हिंसा, शिक्षा में बदलाव जैसे परिवार की स्थिति एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा ,विकास में महिलाओं का प्रभाव जैसे धारणा का जन्म हुआ ।महिला और विकास -सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य ,शिक्षा ,रोजगार जैसी बुनियादी ढांचे में बदलाव को महत्व दिया गया अनेकों प्रकार के रोजगार योजनाएं महिला विकास कार्यक्रम जैसे-IRDP, TRYESE, NRFD ,DWACRA, STRP आदि कार्यक्रम पर जोर दिया गया। इनके विकास के साथ-साथ समय-समय पर 1985 ईस्वी में नौरोबी सम्मेलन के दौरान महिला सशक्तिकरण की अवधारणा का जन्म हुआ ,इस उनके विकास की एक नया नारा "महिला सशक्तिकरण" दिया गया।

Journal of Research and Development
Peer Reviewed International, Open Access Journal.
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-10| October - 2025

महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं में शक्ति के साथ पुरुषों के समान अधिकार करने से है ,अर्थात हीनता के ढांचे में, कानून के माध्यम से ,संपत्ति के माध्यम से ,अधिकारों एवं कर्तव्य के माध्यम से पुरुषों के प्रभुत्व को बनाए रखने एवं उनमें आमूल परिवर्तन करने से है। महिलाओं के संगठनों के माध्यम से चेतनाओं के माध्यम से उनको बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा सामाजिक ,आर्थिक सेवाएं प्रदान करने से है 2001 में" महिला सशक्तीकरण,,वर्ष के रूप में मनाने की भी घोषणा की गई। इनके उत्थान हेतु नीति बनाई गई ,समुचित विकास हेतु निर्वाह के लिए के लिए उनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्वावलंबन योजना, स्वयं सिद्ध योजना , आदि के माध्यम से सशक्त करने की रणनीति बनाई गई

**महिलाओं की भागीदारी के लिए सुझाव---**

महिलाओं की प्रभावी पंचायत से संबंधित भागीदारी के लिए अनेकों प्रकार के सुझाव निम्न तत्व के आधार पर है -

1-ग्रामीण समाज में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पंचायत के कार्यों में राजनीतिक हस्तक्षेप और राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप कम होनी चाहिए ,चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र तरीके से होनी चाहिए ।

2-ग्रामीण समाज में देखा गया कि अभी भी महिलाएं अशिक्षित हैं ,फिर भी राजनीतिक जागरूकता काफी कम है, सरकार एवं स्थानीय प्रशासन के द्वारा महिलाओं को राजनीतिक मुद्दे के बारे में शिक्षित करने और उन्हें भागीदारी को सशक्त बनाने के लिए जागरूकता होनी चाहिए ।

3-ग्रामीण समाज में उन्हें ब्लॉक एवं जिले स्तर पर समय-समय पर प्रतिक्षण जैसे कार्यक्रम करके पुनः प्रशिक्षण करा के उन्हें आत्मनिर्भर एवं आत्मविश्वास के साथ जागरूकता शक्ति एवं विकास जैसे विभिन्न कार्यक्रम के गतिविधियों से ज्ञान बढ़ता है, इन्हें पुरुष प्रतिनिधित्व के तुलना में अधिक अधिकार देनी चाहिए। जिससे अपने अधिकार एवं कर्तव्य की पालन ठीक ढंग से निभा सके ।

4-देखा जाए तो एक सर्वेक्षण के अनुसार जो भी महिलाएं उत्कृष्ट कार्यों को ठीक ढंग से कार्य कर रही हैं, उन्हें सम्मान एवं वित्तीय सहायता से पुरस्कार का प्रावधान करके सम्मानित करनी चाहिए ।

5-ग्रामीण समाज में महिलाओं की सीटों का बंटवारा रोटेशन के अनुसार आरक्षण लगभग 10 वर्ष तक होनी चाहिए ।,जिससे अधिक समय तक रहने पर उनकी पकड़ की जानकारी अधिक होती हैं और अधिक सशक्त होकर ग्रामीण समाज के लिए लाभदायक होगी ।

6-पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं को प्रभावी बनाने के लिए प्रशासक निर्णायक ,नीति निर्माता और मजबूत नेताओं के साथ अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने का आवश्यक प्रदान करनी चाहिए ।73 वा संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से महिलाओं के उत्थान एवं जागरूकता हेतु ,"एक मिल के पत्थर "के समान है ,जहां घर के अंदर चार दीवारी से बाहर नहीं निकलती थी, अब महिलाएं अपनी क्षमता अधिकार और कर्तव्य के साथ बाहर निकाल कर अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं ।

8-ग्रामीण समाज में महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाने के लिए समस्याओं के संदर्भ में शोध जैसे अनुसंधान का विकास करनी चाहिए ।

9-जैसे-जैसे कार्यक्रम को आयोजित करके और सशक्त बनाने में उनके उद्देश्यों के लक्ष्य में प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन देनी चाहिए वैसे-वैसे महिलाओं एवं पुरुषों पर आधारित और समानताओं के आधार पर नहीं बल्कि सामान्य के आधार पर समावेशी विकास ,आर्थिक विकास एवं सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में रणनीति की मान्यता दी जानी चाहिए।

**निष्कर्ष**

यदि हम अपने पंचायत राज्य के स्वप्न अर्थात एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं, तो जहां महिलाओं को कमजोर वर्ग के श्रेणी में रखा गया है निचले पायदान पर खड़ी है उन्हें उच्च पायदान पर लाना होगा। क्योंकि विश्व की आधी आबादी अभी भी पुरुषों के ऊपर निर्भर हैं ,समाज को सशक्त बनाने के लिए इन आबादी को ऊपर लाने के लिए सामाजिक ,आर्थिक ,शैक्षणिक रूप से जागरूकता करनी होगी, इनके बिना कभी भी कोई भी समाज सशक्त नहीं हो सकता है विवेकानंद के अनुसार " कोई भी समाज अगर महिलाओं का सम्मान नहीं करता वह समाज या देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है " इनके उत्थान के लिए अनेक संस्थाएं हैं जैसे पंचायत राज संस्थाएं ही नहीं बल्कि प्रशासनिक एवं विकास कार्यक्रमों के साथ-साथ मिलकर उनकी उत्थान होनी चाहिए। अभी भी अनेकों प्रकार के समस्याओं से ग्रस्त है ,जैसे पद, नौकरियों में आरक्षण,तीन तलाक, घूंघट, दहेज प्रथा ,महिलाओं के प्रति हिंसा, बाल विवाह ,शराबबंदी जैसे बुराइयां फैली हैं ,इनको जब तक उन्मूलन नहीं होगा तब तक सामाजिक विकास एवं एकीकरण के साथ कल्याण मुखी नीति और सशक्त जैसे नीतियों के माध्यम से ठीक ढंग से लागू नहीं होगा ।ग्रामीण समाज में महिलाओं के कल्याण के लिए स्वयं सहायता समूह ,महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम , आदि जैसे अनेकों आर्थिक वित्तीय सहायता के माध्यम से सशक्त बनाया जा रहा है ।विकसित भारत की संकल्पना के साथ 'नारी शक्ति' के साथ स्वीकार किए बिना अधूरी है, विकास के संबंध में उनकी प्रगति कल्याणकारी कार्यक्रम के साथ हमें इन्हें सशक्त बनाने के लिए ,मिशन पोषण, एवं ,मिशन शक्ति ,जैसे कार्यक्रमों की अति आवश्यकता है ।जन्म के समय

Journal of Research and Development
Peer Reviewed International, Open Access Journal.
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-10| October - 2025

लिंगानुपात एवं उज्जवला योजना के साथ , एल पी जी उपयोग में वृद्धि के साथ एक सम्मानजनक संकेत मिल रही है । आज अगर वर्तमान दौड़ में देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं आईएएस ,पीसीएस,हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त कर रही हैं।ठीक इसी प्रकार से एक परिवर्तनकारी समाज का निर्माण होगा, जिससे ग्रामीण समाज -सबके साथ ,सबका विश्वास और सबको आत्मनिर्भरता के साथ भारत सरकार के संकल्प प्रस्तुति के साथ 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की जो संकल्पना है वह साकार होगा।

**संदर्भ ग्रंथ सूची-**

1. कॉस्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स -रजनी कोठारी ।
2. कास्ट क्लास एंड पावर -आंदे बेटटे।
3. सोशियोलॉजी- गुप्ता और शर्मा ।
4. विलेज इंडिया -एम सी दुबे ।
5. इंडियनस विलेजस -एम एन श्रीनिवास ।
6. योजना -सूचना भवन द्वारा सी जी ओ परिसर नई दिल्ली ।
7. कुरुक्षेत्र-ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली!
8. रूलर सोशियोलॉजी - डॉ. वी एन सिंह और डॉ, जनमेजय सिंह।
9. टाटा MC Graw hill एजुकेशन- ऐ के जोशी बी एच यू।
10. सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट--डा,जी आर मदन।
11. टारगेट प्लांइट -ऐ के तिवारी - प्रयागराज।